[1]*** विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869

(1869 का अधिनियम संख्यांक 4)[2]

[26 फरवरी, 1869]

[3]* विवाह-विच्छेद तथा विवाह विषयक मामलों
से सम्बन्धित विधि का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—क्रिश्चियन धर्म मानने वाले व्यक्तियों के विवाह-विच्छेद से संबंधित विधि का संशोधन करना तथा कुछ न्यायालयों को विवाह विषयक मामलों में अधिकारिता प्रदान करना समीचीन है; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1—प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, अधिनियम का प्रारंभ—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [1]*** विवाह-विच्छेद अधिनियम है और यह 1869 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा ।

2. अधिनियम का विस्तार—[4][इस अधिनियम का विस्तार[5] [जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय*] संपूर्ण भारत पर है]]।]

साधारणतया अनुतोष प्रदान करने की,—[6][इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी न्यायालय को इस बात के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी कि वह इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष उस दशा के सिवाय प्रदान करे जबकि अर्जीदार [7][या प्रत्यर्थी] क्रिश्चियन धर्म मानने वाला है,

और विघटन की डिक्रियां देने की,—या विवाह के विघटन की डिक्रियां उस दशा के सिवाय दे जब कि विवाह के पक्षकार उस समय जब अर्जी प्रस्तुत की जाती है भारत में अधिवसित हैं,

या अकृतता की,—या विवाह की अकृतता की डिक्रियां उस दशा के सिवाय दे जबकि विवाह का अनुष्ठापन भारत में किया गया है तथा अर्जी प्रस्तुत करते समय अर्जीदार भारत में निवासी है,

डिक्रियां देने की, शक्ति का विस्तार—या विवाह के विघटन या विवाह की अकृतता की डिक्री से भिन्न इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष उस दशा के सिवाय दे जब कि अर्जी प्रस्तुत करते समय अर्जीदार भारत में निवास करता है ।]

3. निर्वचन खण्ड—इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

[8][(1) "**उच्च न्यायालय**"—"उच्च न्यायालय" से, किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश से,—

(क) किसी राज्य में, उस राज्य का उच्च न्यायालय ;

[9][(ख) दिल्ली में, दिल्ली का उच्च न्यायालय ;

(खख) हिमाचल प्रदेश में, 1967 के अप्रैल के तीसवें दिन को सम्मिलित करते हुए उस दिन तक, पंजाब तथा हरियाणा का उच्च न्यायालय और उसके पश्चात् दिल्ली का उच्च न्यायालय ;]

(ग) मणिपुर और त्रिपुरा में, आसाम का उच्च न्यायालय ;

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 2 द्वारा (3-10-2018 से) लोप किया गया ।
[2] उद्देश्य और कारणों के कथन के लिए, देखिए—कलकत्ता राजपत्र, 1863, पृ० 173 ; प्रवर समिति की रिपोर्ट के लिए देखिए—
भारत का राजपत्र, 1869, पृ० 192 ; काउन्सिल की कार्यवाहियों के लिए, देखिए—कलकत्ता राजपत्र, 1862, सप्लीमेंट, पृ० 463, कलकत्ता राजपत्र, 1863, सप्लीमेंट, पृ० 43, और भारत का राजपत्र, 1869, सप्लीमेंट, पृ० 291 ।
[3] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भारत में" शब्दों का लोप किया गया ।
[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा मूल प्रथम पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
* यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य संघ क्षेत्र और लद्दाख राज्य संघ क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना स० 39 स० का० 3912(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया ।
[6] 1926 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा पैरा 2, 3 और 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1927 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[8] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[9] हिमाचल प्रदेश (राज्य और समवर्ती विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 द्वारा (1-11-1966 से) उपखण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(घ) अंदमान और निकोबार द्वीप में, कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय ;

(ङ) [1][लक्षद्वीप] में, केरल का उच्च न्यायालय ;

[2][(ङङ) चण्डीगढ़ में, पंजाब तथा हरियाणा का उच्च न्यायालय,]

अभिप्रेत है तथा इसे अधिनियम के अधीन किसी अर्जी के मामले में, "उच्च न्यायालय" से उस क्षेत्र का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जहां पति तथा पत्नी एक साथ रहते हैं या अन्तिम बार एक साथ रहे हैं ।]

[3][(2) **"जिला न्यायाधीश**"—"जिला न्यायाधीश" से, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी प्रकार से पदाभिहित हो;]

(3) **"जिला न्यायालय"**—"जिला न्यायालय" से, इस अधिनियम के अधीन किसी अर्जी के मामले में, जिला न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी मामूली अधिकारिता की [4][या जिसकी इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विवाह अनुष्ठापित हुआ था या] पति तथा पत्नी एक साथ रहते हैं या अन्तिम बार एक साथ रहे हैं ;

(4) **"न्यायालय"**—"न्यायालय" से, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय अभिप्रेत है ;

(5) **"अवयस्क संतान"**—"अवयस्क संतान" से देशज पिताओं के पुत्रों के मामले में, ऐसे लड़के, जिन्होंने सोलह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा देशज पिताओं की पुत्रियों के मामले में, ऐसी लड़कियां, जिन्होंने तेरह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अभिप्रेत हैं, अन्य मामलों में, उससे ऐसी अविवाहित संतान अभिप्रेत हैं जिन्होंने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;

[5]* * * * * *

(8) **"अन्य स्त्री के साथ विवाह"**—"अन्य स्त्री के साथ विवाह" से, किसी विवाहित व्यक्ति का, पूर्ववर्ती पत्नी के जीवन काल में, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अभिप्रेत है, चाहे दूसरा विवाह [6][भारत] में हुआ हो या अन्यत्र ;

(9) **"अभित्यजन"**—"अभित्यजन" में उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध परित्याग अन्तर्हित है जिसके द्वारा उसका आरोप लगाया जाता है ; और

(10) **"सम्पत्ति"**—"सम्पत्ति" के अन्तर्गत पत्नी के मामले में ऐसी कोई सम्पत्ति आती है जिसकी वह शेष या उत्तरभोग संपदा के लिए, या न्यासी, निष्पादिका या प्रशासिका के रूप में हकदार हो ; और वसीयतकर्ता या निर्वसीयती की मृत्यु की तारीख को वह समय समझा जाएगा जब ऐसी पत्नी निष्पादिका या प्रशासिका के रूप में हकदार होती है ।

2—अधिकारिता

4. उच्च न्यायालय की विवाह विषयक अधिकारिता का अधिनियम के अधीन प्रयोग किया जाना—अपवाद—सहवास-विच्छेद के संबंध में और विवाह विषयक सभी अन्य मामलों, वादों तथा बातों में, उच्च न्यायालयों द्वारा इस समय प्रयुक्त की जाने वाली अधिकारिता का ऐसा न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों द्वारा प्रयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया जाएगा न कि अन्यथा, किन्तु जहां तक अधिकारिता का संबंध विवाह-अनुज्ञप्तियां देने से है वे इस प्रकार दी जा सकेंगी मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था ।

5. सुप्रीम या उच्च न्यायालय द्वारा इसके पूर्व दी गई डिक्रियों या किए गए आदेशों का प्रवर्तन—विवाह विषयक किसी मामले या वाद में क्रमश: कलकत्ता, मद्रास या मुम्बई में धार्मिक पक्ष संबंधी बैठक में भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट आफ जूडिकेचर की या विवाह विषयक अधिकारिता के प्रयोग से सम्बद्ध बैठक में उक्त उच्च न्यायालयों में से किसी की डिक्री या आदेश का प्रवर्तन और उसके संबंध में कार्यवाही क्रमश: उक्त उच्च न्यायालयों द्वारा इसमें इसके पश्चात् वर्णित रूप से उसी रीति से की जा सकेगी मानो ऐसी डिक्री या आदेश, उसका प्रवर्तन या उसके संबंध में कार्यवाही करने वाले न्यायालय द्वारा मूल रूप में इस अधिनियम के अधीन दिया गया है ।

6. लम्बित वाद—इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर किसी उच्च न्यायालय में लम्बित विवाह विषयक मामलों और बातों से संबंधित वादों तथा कार्यवाहियों के बारे में ऐसे न्यायालय द्वारा कार्यवाही तथा उनके बारे में विनिश्चय जहां तक हो सके इस प्रकार किया जाएगा मानो वे प्रारंभ में इस अधिनियम के अधीन वहां संस्थित की गई हों ।

[7]* * * * *

---

[1] लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप (नाम परिवर्तन) विधि अनुकूलन आदेश, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) "लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] पंजाब पुनर्गठन (चंडीगढ़) (राज्य और समवर्ती विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1968 द्वारा (1-11-1966 से) अंत:स्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया ।

[6] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मेजेस्टी के डोमीनियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

8. उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता—उच्च न्यायालय जब कभी वह ठीक समझे इस अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर किसी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन संस्थित किसी वाद या कार्यवाही को वहां से हटा सकेगा और आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में उसका विचारण तथा अवधारण कर सकेगा ।

वादों को अन्तरित करने की शक्ति—उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद या कार्यवाही को वापस भी ले सकेगा और उसे ऐसे किसी अन्य जिला न्यायाधीश के न्यायालय को विचारण या निपटारे के लिए अन्तरित कर सकेगा ।

9. उच्च न्यायालय को निर्देश—जब इस अधिनियम के अधीन किसी जिला न्यायालय द्वारा किसी वादी की सुनवाई के पूर्व कार्यवाहियों में किसी समय या ऐसे वाद के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर या उसमें दी गई डिक्री या किए गए आदेश के निष्पादन में, विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा का कोई प्रश्न उठता है,

तब न्यायालय, या तो स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर, मामले का कथन लेखबद्ध करेगा और उस पर अपनी राय के साथ उसे उच्च न्यायाल के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकेगा ।

यदि प्रश्न सुनवाई के पूर्व या सुनवाई में उठा है तो जिला न्यायालय या तो ऐसी कार्यवाहियों को रोक सकेगा या ऐसे निर्देश के लम्बित रहने तक मामले में अग्रसर हो सकेगा और उसमें उच्च न्यायालय की राय पर समाश्रित डिक्री पारित कर सकेगा ।

यदि कोई डिक्री दी गई है या आदेश किया गया है तो उसका निष्पादन, ऐसे निर्देश पर उच्च न्यायालय के आदेश की प्राप्ति तक, रोक दिया जाएगा ।

3—विवाह का विघटन

[1][**10. विवाह के विघटन के लिए आधार**—(1) कोई विवाह, चाहे भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो या उसके पश्चात्, पति अथवा पत्नी द्वारा जिला न्यायालय को प्रस्तुत अर्जी पर, इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात्—

(i) प्रत्यर्थी ने जारकर्म किया है ; या

(ii) प्रत्यर्थी, अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण, क्रिश्चियन नहीं रहा है ; या

(iii) प्रत्यर्थी, अर्जी प्रस्तुत करने के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष से अन्यून की निरंतर अवधि के लिए असाध्य रूप से विकृत-चित्त रहा है ; या

[2]* * * * * * *

(v) प्रत्यर्थी, अर्जी प्रस्तुत करने के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है ; या

(vi) प्रत्यर्थी के बारे में सात वर्ष से या उससे अधिक की कालावधि में उन व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने प्रत्यर्थी के बारे में, यदि वह जीवित होता तो, स्वभाविकतया सुना होता, यह नहीं सुना गया है कि वह जीवित है ; या

(vii) प्रत्यर्थी ने, जानबूझकर विवाहोत्तर सहवास करने से इन्कार किया है और अत: विवाहोत्तर सहवास नहीं हुआ है ; या

(viii) प्रत्यर्थी, दांपत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्री का उसके विरुद्ध डिक्री पारित किए जाने के पश्चात् दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक पालन करने में असफल रहा है ; या

(ix) प्रत्यर्थी ने, अर्जी प्रस्तुत करने के ठीक पहले कम-से-कम दो वर्ष के लिए अर्जीदार को अधित्यक्त रखा है ; या

(x) प्रत्यर्थी ने, अर्जीदार के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया है जिससे अर्जीदार के मन में युक्तियुक्त भय कारित हुआ है कि अर्जीदार का प्रत्यर्थी के साथ रहना हानिप्रद या क्षतिकर होगा ।

(2) पत्नी, विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी प्रस्तुत कर सकेगी कि पति, विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात् बलात्संग, गुदा मैथुन या पशु गमन का दोषी रहा है ।]

[3][**10क. पारस्परिक सम्मति से विवाह का विघटन**—(1) इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी, चाहे ऐसा विवाह भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, जिला न्यायालय में, इस आधार पर प्रस्तुत कर सकेंगे कि वे दो वर्ष या उससे अधिक समय से अलग-अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए ।

[1] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2019 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अर्जी प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह मास के पश्चात् और उस तारीख से अठारह मास के पूर्व दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर, यदि इस बीच दोनों पक्षकारों द्वारा अर्जी वापस नहीं ले ली गई है तो, न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रकथन सही हैं, यह घोषणा करते हुए डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा ।]

[1][**11. जार या जारिणी का सहप्रत्यर्थी होना**—पति या पत्नी द्वारा जारकर्म के आधार पर विवाह विघटन के लिए प्रस्तुत की गई किसी अर्जी में, अर्जीदार अभिकथित जार या जारिणी को सहप्रत्यर्थी बनाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर अर्जीदार को ऐसा करने के लिए छूट नहीं दे दी जाती, अर्थात् :—

(क) कि पत्नी जो प्रत्यर्थी है, वेश्या का जीवन बिता रही है या पति, जो प्रत्यर्थी है, अनैतिक जीवन बिता रहा है और यह कि अर्जीदार ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जिसके साथ जारकर्म किया गया है ;

(ख) कि अभिकथित जार या जारिणी का नाम अर्जीदार को ज्ञात नहीं है यद्यपि अर्जीदार ने उसका पता लगाने के लिए सम्यक् प्रयत्न किए हैं ;

(ग) कि अभिकथित जार या जारिणी मर चुकी है ।]

12. दुरभिसंधि न होने के बारे में न्यायालय का समाधान होना—विवाह के विघटन के लिए किसी ऐसी अर्जी के दिए जाने पर न्यायालय न केवल अभिकथित तथ्यों के बारे में बल्कि इस बारे में भी जहां तक युक्तियुक्त रूप से हो सके अपना समाधान कर लेगा कि क्या अर्जीदार उक्त प्रकार का विवाह या जारकर्म किए जाने के संबंध में किसी प्रकार से सहायक या मौनानुकूल रहा है या रही है या नहीं अथवा क्या उसने उसे माफ कर दिया है या नहीं तथा किसी ऐसे प्रत्यारोप की जांच करेगा जो अर्जीदार के विरुद्ध किया जाए ।

13. अर्जी खारिज करना—यदि किसी ऐसी अर्जी के संबंध में दिए गए साक्ष्य पर,

न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अर्जीदार का मामला साबित नहीं हुआ है या यह समाधान नहीं होता है कि अभिकथित जारकर्म किया गया है,

या न्यायालय को पता चलता है कि अर्जीदार विवाह के दौरान उक्त प्रकार का विवाह या जारकर्म विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा किए जाने के संबंध में सहायक या मौनानुकल रहा है या रही है या उसने उक्त जारकर्म को, जिसका परिवाद किया गया है, माफ कर दिया है,

या कि अर्जी प्रत्यर्थियों में से किसी के साथ दुरभिसंधि करके प्रस्तुत की गई है या चलाई गई है,

तो और उक्त दशाओं में से किसी में न्यायालय अर्जी को खारिज कर देगा ।

[2]* * * * *

14. विवाह को विघटित करने की डिक्री सुनाने की न्यायालय की शक्ति—यदि दिए गए साक्ष्य पर, न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अर्जीदार का मामला साबित हो गया है,

और न्यायालय को यह पता नहीं चलता कि अर्जीदार उक्त प्रकार का विवाह या जारकर्म विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा किए जाने के संबंध में सहायक या मौनानुकूल रहा है या रही है या उसने उस जारकर्म को, जिसका परिवाद किया गया है, माफ कर दिया है,

या अर्जी प्रत्यर्थियों में से किसी के साथ दुरभिसंधि करके प्रस्तुत की गई है या चलाई गई है,

तो न्यायालय, [3]*** ऐसे विवाह का विघटित किया जाना घोषित करते हुए, डिक्री सुनाएगा :

परन्तु न्यायालय ऐसी डिक्री सुनाने के लिए आबद्ध नहीं होगा, यदि उसे पता चलता है कि अर्जीदार विवाह के दौरान, जारकर्म का दोषी रहा है या जारकर्म की दोषी रही है,

या यदि अर्जीदार, न्यायालय की राय में, ऐसी अर्जी प्रस्तुत करने या उसे चलाने में अनुचित विलम्ब का दोषी रहा है या अनुचित विलम्ब की दोषी रही है,

या विवाह के अन्य पक्षकार के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है या क्रूरता की दोषी है,

या उस जारकर्म के पूर्व जिसका परिवाद किया गया है, और उचित कारण के बिना वह दूसरे पक्षकार के अभित्यजन या जानबूझकर अपने आपको उससे पृथक् करने का दोषी रहा है या करने की दोषी रही है,

या जानबूझकर ऐसी उपेक्षा या अवचार करने का दोषी रहा है या करने की दोषी रही है जो उस जारकर्म का साधक हुआ है ।

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 8 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 9 द्वारा लोप किया गया ।

माफी—किसी जारकर्म को इस अधिनियम के अर्थ में माफ कर दिया गया तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक दाम्पत्य-सहवास पुन: आरम्भ नहीं कर दिया गया या जारी नहीं रखा गया है ।

15. कतिपय आधारों पर विरोध की दशा में अनुतोष—विवाह के विघटन के लिए संस्थित किसी वाद में यदि प्रत्यर्थी, उस दशा में जिसमें ऐसा वाद पति द्वारा संस्थित किया गया है, उसके जारकर्म, क्रूरता या [1]*** अभित्यजन के आधार पर, या उस दशा में जिसमें ऐसा वाद पत्नी द्वारा संस्थित किया गया है, [2][उसके जारकर्म या क्रूरता या अभित्यजन के आधार पर], चाहे गए अनुतोष का विरोध करे तो न्यायालय, ऐसे वाद में प्रत्यर्थी के आवेदन पर उसे वैसा ही अनुतोष दे सकेगा, जिसके लिए वह हकदार होता या होती, यदि उसने ऐसा अनुतोष चाहते हुए, अर्जी प्रस्तुत की होती और प्रत्यर्थी [2][ऐसे जारकर्म या क्रूरता] या अभित्यजन का या उससे संबंधित साक्ष्य देने के लिए सक्षम होगा या सक्षम होगी ।

16. विघटन की डिक्रियों का अपेक्षात्मक होना—उच्च न्यायालय द्वारा विवाह के विघटन के लिए दी गई प्रत्येक डिक्री, [3]*** प्रथमत: अपेक्षात्मक डिक्री होगी जो उसके सुनाए जाने से छह मास से अन्यून इतने समय के अवसान के पश्चात् तक, जितना उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, अन्तिम नहीं की जाएगी ।

दुरभिसंधि—उस अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसी रीति से जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे इसके लिए हेतुक दर्शित करने की स्वतंत्रता होगी कि उक्त डिक्री को इस कारण अन्तिम नहीं बनाया जाना चाहिए कि वह दुरभिसंधि से या सारवान् तथ्यों को न्यायालय के समक्ष न लाने के कारण अभिप्राप्त की गई है ।

इस प्रकार हेतुक दर्शित करने पर, न्यायालय डिक्री को अन्तिम बनाते हुए या अपेक्षात्मक डिक्री को उलटते हुए या और आगे जांच अपेक्षित करते हुए या अन्यथा, जैसा भी न्याय के लिए अपेक्षित हो, मामले में कार्रवाई करेगा ।

उच्च न्यायालय, काउन्सल तथा साक्षियों के तथा ऐसे हेतुक से जो दर्शित किया जाए अन्यथा उपगत व्यय के, पक्षकारों या उनमें से ऐसे एक या अधिक द्वारा, जिन्हें वह ठीक समझे, जिनमें पत्नी भी उस दशा में आती है जब उसके पास पृथक् सम्पत्ति है, संदत्त किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा ।

जब कभी अपेक्षात्मक डिक्री दी गई है और अर्जीदार उचित समय में ऐसी डिक्री को अन्तिम बनवाने के लिए प्रस्ताव करने में असफल होता है तब उच्च न्यायालय वाद को खारिज कर सकेगा ।

[4][**17. कतिपय वादों को हटाने की उच्च न्यायालय की शक्ति**—जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद के चालू रहने के दौरान कोई व्यक्ति, जो यह संदेह करता है कि वाद के कोई पक्षकार विवाह-विच्छेद अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए दुरभिसंधि से कार्य कर रहे हैं या करते रहे हैं, उस वाद को धारा 8 के अधीन हटाने के लिए उच्च न्यायालय को ऐसी रीति से आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा जैसी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समय-समय पर, निर्दिष्ट करे और तब यदि न्यायालय ठीक समझता है तो ऐसे वाद को हटा लेगा और आरम्भिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में उसका विचारण और अवधारण करेगा तथा ऐसे हटाए गए प्रत्येक वाद को धारा 16 के उपबंध लागू होंगे ; या वह जिला न्यायाधीश को अभिकथित दुरभिसंधि की बाबत ऐसे कदम उठाने के लिए निदेश दे सकेगा, जो उसे मामले में न्याय के अनुसार, डिक्री देने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों ।]

[5]* * * * *

[6]* * * * *

4—विवाह की अकृतता

18. अकृतता की डिक्री के लिए अर्जी—कोई पति या पत्नी जिला न्यायालय [7]*** को यह प्रार्थना करते हुए अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा या कर सकेगी कि उसका विवाह अकृत और शून्य घोषित कर दिया जाए ।

19. डिक्री के आधार—ऐसी डिक्री निम्नलिखित कारणों में से किसी पर दी जा सकेगी :—

(1) प्रत्यर्थी विवाह के समय तथा वाद संस्थित किए जाने के समय नपुंसक था या थी ;

(2) पक्षकार (प्राकृतिक या विधिक) रक्त संबंध के आधार पर प्रतिषिद्ध डिग्री के अथवा विवाह संबंध के आधार पर प्रतिषिद्ध डिग्री के अन्दर है ;

(3) पक्षकारों में से कोई विवाह के समय पागल या जड़ था या थी ;

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 10 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 11 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 13 द्वारा लोप किया गया ।
[6] 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा दूसरे पैरे का लोप किया गया ।
[7] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 14 द्वारा लोप किया गया ।

(4) पक्षकरों में से किसी का पूर्ववर्ती पति या किसी की पूर्ववर्ती पत्नी उस विवाह् के समय जीवित था या जीवित थी और ऐसे पूर्ववर्ती पति या पत्नी के साथ विवाह् उस समय प्रवृत्त था ।

इस धारा की कोई बात इस आधार पर कि दोनों में से किसी पक्षकार की सहमति बल या कपट से अभिप्राप्त की गई थी विवाह् की अकृतता की डिक्रियां देने की [1][जिला न्यायालय की अधिकारिता] को प्रभावित नहीं करेगी ।

[2]* * * * *

21. बातिल विवाह की संतान—जब कोई विवाह इस आधार पर बातिल किया जाता है कि पूर्ववर्ती पति या पत्नी जीवित था या जीवित थी, और वह न्यायनिर्णीत किया जाता है कि पश्चात्वर्ती विवाह सद्भावपूर्वक और पक्षकारों द्वारा इस पूर्ण विश्वास से किया गया था कि पूर्ववर्ती पति या पत्नी मर चुका है या मर चुकी है अथवा जब कोई विवाह उन्मत्तता के आधार पर बातिल किया जाता है तब डिक्री दिए जाने से पूर्व जनित संतान को डिक्री में विनिर्दिष्ट किया जाएगा और उसे उस पिता या माता की, जो उस विवाह् के समय विवाह् करने के लिए सक्षम था या सक्षम थी, सम्पदा का उसी प्रकार उत्तराधिकारी होने का हक होगा जिस प्रकार धर्मज संतान को होता है ।

5—न्यायिक पृथक्करण

22. सहवास-विच्छेद की डिक्री का वर्जन किन्तु पति या पत्नी द्वारा न्यायिक पृथक्करण अभिप्राप्त किया जा सकना—अब से सहवास-विच्छेद की कोई डिक्री नहीं दी जाएगी किन्तु जारकर्म या क्रूरता, अथवा [3]*** दो वर्ष या उससे अधिक के लिए अभित्यजन के आधार पर पति या पत्नी न्यायिक पृथक्करण की डिक्री अभिप्राप्त कर सकेगा या कर सकेगी, और ऐसी डिक्री का प्रभाव विद्यमान विधि के अधीन सहवास-विच्छेद और ऐसा अन्य प्रभाव होगा जैसा इसमें इसके पश्चात् वर्णित है ।

23. पृथक्करण के लिए आवेदन अर्जी द्वारा किया जाना—पूर्वोक्त आधारों में से किसी एक आधार पर पति या पत्नी द्वारा न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन जिला न्यायालय को [4]*** अर्जी द्वारा किया जा सकेगा ; और वह न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में तथा आवेदन मंजूर न करने के कोई विधिक आधार न होने के बारे में अपना समाधान होने पर तद्नुसार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दे सकेगा ।

24. पृथक् हुई पत्नी का पश्चात् अर्जित संपत्ति के बारे में अविवाहिता स्त्री समझा जाना—इस अधिनियम के अधीन न्यायिक पृथक्करण के प्रत्येक मामले में पत्नी को, निर्णय की तारीख से और पृथक्करण चालू रहने तक प्रत्येक प्रकार की ऐसी संपत्ति की बाबत, जिसका वह अर्जन करे या जो उसको प्राप्त हो या उसे न्यागत हो, अविवाहिता समझा जाएगा ।

ऐसी संपत्ति का सभी प्रकार से उसके द्वारा व्ययन अविवाहिता स्त्री के रूप में किया जा सकेगा और उसकी मृत्यु पर, उस दशा में जिसमें उसकी निर्वसीयती मृत्यु होती है उसका व्ययन वैसे ही होगा जैसे तब होता जब उसका पति उस समय मर चुका होता :

परन्तु यदि कोई ऐसी पत्नी अपने पति के साथ फिर से सहवास करती है तो सभी ऐसी सम्पत्ति जिसकी कि वह ऐसा सहवास होने के समय हकदार है उसके पृथक् उपयोग के लिए धारण की जाएगी, किन्तु किसी ऐसे लिखित करार के अधीन होगी जो पृथक् रहने के दौरान उसके और उसके पति के बीच किया गया हो ।

25. पृथक् हुई पत्नी का संविदा तथा वाद लाने के प्रयोजनों के लिए अविवाहिता स्त्री समझा जाना—इस अधिनियम के अधीन न्यायिक पृथक्करण के प्रत्येक मामले में, पत्नी को इस प्रकार पृथक् रहने के दौरान संविदा तथा दोषों तथा क्षतियों के और किसी सिविल कार्यवाही में वाद लाने तथा उसके विरुद्ध वाद लाए जाने के प्रयोजनों के लिए अविवाहिता स्त्री समझा जाएगा ; और किसी ऐसी संविदा, कार्य या खर्चे के संबंध में, जिसे उसने पृथक् रहने के दौरान किया हो, करने में लोप किया हो या उपगत किया हो, उसका पति जिम्मेदार नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी ऐसे न्यायिक पृथक्करण पर पत्नी को निर्वाह-व्यय का संदाय किए जाने की डिक्री या आदेश दिया गया है और पति द्वारा उसका सम्यक् रूप से संदाय नहीं किया गया है, वहां वह उसके उपयोग के लिए दी गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि पत्नी को कोई भी बात, उसे और उसके पति को दी गई किसी संयुक्त शक्ति के प्रयोग में, ऐसे पृथक् रहने के दौरान किसी समय सम्मिलित होने से नहीं रोकेगी ।

पृथक्करण की डिक्री को उलटना

26. पति या पत्नी की अनुपस्थिति के दौरान प्राप्त की गई पृथक्करण की डिक्री का उलटा जा सकना—कोई पति या पत्नी, यथास्थिति, जिसकी पत्नी या जिसके पति के आवेदन पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री सुनाई गई है, तत्पश्चात् किसी समय उस न्यायालय को जिसने वह डिक्री सुनाई थी यह प्रार्थना करते हुए अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा या कर सकेगी कि उस डिक्री को इस आधार पर

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 15 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 17 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 18 द्वारा लोप किया गया ।

उलट दिया जाए कि वह उसकी अनुपस्थिति में अभिप्राप्त की गई थी और यदि ऐसी डिक्री का आधार अभित्यजन था तो अभिकथित अभित्यजन के लिए उचित कारण था।

न्यायालय ऐसी अर्जी के अभिकथनों की सत्यता के बारे में समाधान होने पर डिक्री को तद्नुसार उलट सकेगा किन्तु ऐसा उलटना उन अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या उन्हें प्रभावित नहीं करेगा जो कि पृथक्करण के निर्णय और उसके उलटने के बीच के समय पत्नी द्वारा उपगत या किए गए ऋणों, संविदाओं या कार्यों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को उस दशा में प्राप्त होते जब वह डिक्री नहीं दी गई होती।

6—संरक्षण-आदेश

27. अभित्यक्त पत्नी द्वारा संरक्षण के लिए न्यायालय को आवेदन किया जा सकना—कोई पत्नी, जिसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865[1] (1865 का 10) की धारा 4 लागू नहीं होती है अपने पति द्वारा अभित्यक्त किए जाने पर, किसी ऐसी संपत्ति के, जो ऐसे अभित्यजन के पश्चात् उसने अर्जित की हो या वह अर्जित करे और किसी ऐसी संपत्ति के जो ऐसे अभित्यजन के पश्चात् उसके कब्जे में आ गई हो या कब्जे में आ जाए, अपने पति या उसके लेनदारों या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध, संरक्षण के वास्ते आदेश के लिए, ऐसे अभित्यजन के पश्चात् किसी भी समय, जिला न्यायालय [2]*** को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।

28. न्यायालय द्वारा संरक्षण-आदेश दिया जा सकना—यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा अभित्यजन हुआ और वह उचित कारण के बिना हुआ और पत्नी अपना भरण-पोषण स्वयं अपने उद्यम या अपनी संपत्ति से कर रही है तो वह उसके उपार्जनों और अन्य संपत्ति की, उसके पति और सब लेनदारों और उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों से, संरक्षा करने का आदेश कर सकेगा और पत्नी को दे सकेगा। प्रत्येक ऐसे आदेश में वह समय दिया होगा जब ऐसा अभित्यजन प्रारम्भ हुआ तथा वह उस पर अवलम्ब लेते हुए पत्नी से व्यवहार करने वाले सब व्यक्तियों के संबंध में निश्चायक होगा।

29. आदेशों को प्रभावोन्मुक्त या परिवर्तित करना—पति या उसका कोई लेनदार या उसके अधीन दावा करने वाला व्यक्ति उस न्यायालय को, जिसके द्वारा ऐसा आदेश दिया गया था, उसको प्रभावोन्मुक्त या परिवर्तित करने के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय, उस दशा में जिसमें अभित्यजन समाप्त हो गया है या यदि किसी अन्य कारण से वह ऐसा करना ठीक समझता है तो तदनुसार आदेश को प्रभावोन्मुक्त या परिवर्तित कर सकेगा।

30. आदेश की सूचना के पश्चात् पत्नी की संपति का अभिग्रहण करने वाले पति का दायित्व—यदि पति या पति का कोई लेनदार या पति के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐसे आदेश की सूचना के पश्चात्, पत्नी की संपत्ति का अभिग्रहण करता है या उसे धारण करता रहता है तो वह पत्नी के वाद पर (जिसे लाने के लिए इसके द्वारा उसे सशक्त किया जाता है) विनिर्दिष्ट संपत्ति को उसे वापस करने या परिदत्त करने तथा उसके मूल्य की दुगुनी राशि भी उसे संदत्त करने के दायित्वाधीन होगा।

31. आदेश के जारी रहने के दौरान पत्नी की विधिक स्थिति—जब तक संरक्षण का कोई ऐसा आदेश प्रवृत्त रहता है तब तक पत्नी संपत्ति और संविदाओं तथा वाद लाने और अपने पर वाद लाए जाने के बारे में, अपने ऐसे अभित्यजन के दौरान, सभी प्रकार से वैसी ही स्थिति में होगी और हुई समझी जाएगी जिसमें वह इस अधिनियम के अधीन उस दशा में होगी जब वह न्यायिक पृथक्करण की डिक्री अभिप्राप्त कर लेगी।

7—दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन

32. दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए अर्जी—जब या तो पति या पत्नी ने, उचित कारण बिना, स्वयं को दूसरे के साहचर्य से अलग कर लिया है तब या तो पत्नी या पति, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय [2]*** को अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगी या कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में लिए गए कथनों की सत्यता का तथा इस बात का समाधान हो जाने पर कि आवेदन मंजूर न करने में कोई विधिक आधार नहीं है, तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री दे सकेगा।

33. अर्जी का उत्तर—दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की अर्जी के उत्तर में किसी भी ऐसी बात का अभिवचन नहीं किया जाएगा जो न्यायिक पृथक्करण के लिए या विवाह की अकृतता की डिक्री के लिए वाद का आधार न हो।

8—नुकसानी तथा खर्चे

[3]* * * * *

[4]* * * * *

[1] देखिए—अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39)।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 18 द्वारा लोप किया गया।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 19 द्वारा लोप किया गया।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 20 द्वारा लोप किया गया।

9—निर्वाह-व्यय

36. वादकालीन निर्वाह-व्यय—इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में, चाहे वह पति द्वारा संस्थित किया गया हो या पत्नी द्वारा तथा चाहे पत्नी ने संरक्षण का आदेश अभिप्राप्त किया हो या नहीं [1][वह वाद के लम्बित रहने तक कार्यवाहियों के व्यय तथा निर्वाह-व्यय के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकेगी] ।

ऐसी अर्जी की पति पर तामील की जाएगी ; और उसमें किए गए कथनों की सच्चाई के बारे में अपना समाधान हो जाने पर न्यायालय [2][वाद के लम्बित रहने तक पत्नी को कार्यवाहियों के व्ययों और निर्वाह-व्यय के संदाय के लिए] पति को ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह न्यायसंगत समझे :

[3]* * * * *

[2][परंतु यह और कि वाद के लंबित रहने तक कार्यवाहियों के व्ययों और निर्वाह-व्यय के लिए अर्जी, यथासंभव, ऐसी अर्जी की पति पर तामील की तारीख से, साठ दिन के भीतर निपटाई जाएगी ।]

37. स्थायी निर्वाह-व्यय का आदेश देने की शक्ति—[4][जहां पत्नी द्वारा विवाह के विघटन की डिक्री या न्यायिक पृथक्करण की डिक्री अभिप्राप्त कर ली जाती है वहां जिला न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि पति], न्यायालय को समाधानप्रद रूप में पत्नी के लिए इतनी सकल धनराशि या उसके जीवन काल से अनधिक किसी अवधि के लिए इतनी वार्षिक धनराशि सुनिश्चित करेगा जितनी पत्नी की संपत्ति (यदि कोई हो), पति की समर्थता तथा पक्षकारों के आचरण को ध्यान में रखते हुए, वह उचित समझता है, और उस प्रयोजन के लिए, सभी आवश्यक पक्षकारों द्वारा उचित लिखत का निष्पादन करवाएगा ।

मासिक या साप्ताहिक संदाय का आदेश देने की शक्ति—प्रत्येक ऐसे मामले में न्यायालय, पत्नी के भरण-पोषण तथा उसकी संभाल के लिए इतनी मासिक या साप्ताहिक राशियां उसको संदत्त करने के लिए पति को आदेश दे सकेगा जितनी वह न्यायालय उचित समझता है :

परन्तु यदि पति तत्पश्चात् किसी कारण से ऐसे संदाय करने में असमर्थ हो जाता है तो न्यायालय के लिए विधिसम्मत होगा कि वह ऐसे संदत्त किए जाने के लिए आदिष्ट संपूर्ण धन या उसके किसी भाग के संबंध में आदेश को प्रभावोन्मुक्त या परिवर्तित कर दे अथवा उसे अस्थायी रूप से निलम्बित कर दे और उसी आदेश को पूर्णत: या भागत: पुन: प्रवर्तित कर दे जैसा वह न्यायालय ठीक समझे ।

38. न्यायालय निर्वाह-व्यय का संदाय पत्नी को या उसके न्यासी को करने के लिए आदेश दे सकेगा—ऐसे सभी मामलों में, जिसमें न्यायालय निर्वाह-व्यय के लिए कोई डिक्री या आदेश देता है, वह उसका संदाय या तो स्वयं पत्नी को या उसके निमित्त किसी न्यासी को जो न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा करने का निदेश दे सकेगा तथा ऐसी कोई शर्तें या निर्बन्धन अधिरोपित कर सकेगा, जो न्यायालय को समीचीन प्रतीत हों और समय-समय पर यदि न्यायालय को समीचीन प्रतीत हो, तो कोई नया न्यासी नियुक्त कर सकेगा ।

10—व्यवस्थापन

[5]* * * * *

40. विवाह-पूर्व या विवाह-पश्चात् के व्यवस्थापनों के अस्तित्व के बारे में जांच—[6][जिला न्यायालय, विवाह के विघटन के लिए डिक्री या विवाह की अकृतता की डिक्री पारित करने से पूर्व] उन पक्षकारों के संबंध में, जिनका विवाह डिक्री का विषय है, किए गए विवाह-पूर्व या विवाह-पश्चात् के व्यवस्थापनों के अस्तित्व की जांच कर सकेगा और जिस सम्पत्ति का व्यवस्थापन किया गया है उस सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी प्रभाग के उपयोजन के संबंध में चाहे पति या पत्नी के या विवाह की संतान के (यदि कोई हो), या संतान और माता-पिता, दोनों के फायदे के लिए, ऐसे आदेश दे सकेगा, जैसे उस न्यायालय को ठीक प्रतीत हो :

परन्तु न्यायालय माता-पिता या उनमें से किसी के फायदे के लिए, संतान की हानि करके, कोई भी आदेश नहीं देगा ।

11—संतान की अभिरक्षा

41. पृथक्करण के लिए वाद में संतान की अभिरक्षा के बारे में आदेश देने की शक्ति—न्यायिक पृथक्करण अभिप्राप्त करने के लिए किसी वाद में, न्यायालय डिक्री देने के पूर्व समय-समय पर ऐसे अन्तरिम आदेश दे सकेगा तथा डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जो उस अवयस्क संतान की, जिसके माता-पिता का विवाह ऐसे वाद का विषय है, अभिरक्षा, भरणपोषण या शिक्षा के बारे में वह उचित समझे और यदि ठीक समझे तो ऐसी संतान को उक्त न्यायालय के अभिरक्षण के अधीन रखने के लिए कार्यवाहियां की जाने का निदेश दे सकेगा :

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 49 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 49 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 21 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 23 द्वारा लोप किया गया ।
[6] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][परन्तु वाद के लंबित रहने तक अवयस्क संतान के भरण-पोषण और शिक्षा की बाबत आवेदन को यथासंभव, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील की तारीख से, साठ दिन के भीतर निपटाया जाएगा ।]

42. डिक्री के पश्चात् ऐसे आदेश देने की शक्ति—न्यायालय, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए (अर्जी द्वारा) आवेदन पर समय-समय पर, अवयस्क संतान की, जिसके माता-पिता का विवाह डिक्री का विषय है, अभिरक्षा, भरणपोषण तथा शिक्षा के बारे में या ऐसी संतान को उक्त न्यायालय के संरक्षण के अधीन रखने के लिए ऐसे सभी आदेश दे सकेगा तथा उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री या अंतरिम आदेशों से उस दशा में दिए जा सकते या किए जा सकते जब ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए कार्यवाहियां लम्बित होती ।

43. विघटन या अकृतता के लिए वादों में संतान की अभिरक्षा के बारे में आदेश देने की शक्ति—[2][किसी जिला न्यायालय में विवाह के विघटन या विवाह की अकृतता की डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए संस्थित किसी वाद में वह न्यायालय वाद को डिक्री करने से पूर्व अवयस्क संतान की, जिसके माता-पिता का विवाह वाद का विषय है, अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में, समय-समय पर, ऐसे अंतरिम आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे,]

तथा, यदि वह ठीक समझे तो ऐसी संतान को न्यायालय के संरक्षण के अधीन रखने की कार्यवाहियां किए जाने के लिए निदेश दे सकेगा ।

44. डिक्री या डिक्री की पुष्टि के पश्चात् ऐसे आदेश देने की शक्ति—[3][जहां विवाह के विघटन या अकृतता की कोई डिक्री पारित की गई है वहां जिला न्यायालय] उस प्रयोजन के लिए अर्जी द्वारा आवेदन पर, समय-समय पर, अवयस्क संतान की जिसके माता-पिता का विवाह डिक्री का विषय था, अभिरक्षा, भरणपोषण तथा शिक्षा के बारे में या ऐसी संतान को उक्त न्यायालय के संरक्षण के अधीन रखने के लिए ऐसे सभी आदेश दे सकेगा तथा उपबंध कर सकेगा जो (यथास्थिति) ऐसी अंतिम डिक्री द्वारा या डिक्री द्वारा या यथापूर्वोक्त अन्तरिम आदेशों द्वारा दिए जा सकते या किए जा सकते हैं ।

12—प्रक्रिया

45. सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना—इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए पक्षकार तथा पक्षकार के बीच इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियां [4][सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5)] द्वारा विनियमित होंगी ।

46. अर्जियों तथा विवरणों के प्ररूप—इस अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप ऐसे परिवर्तनों के साथ, जैसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हों, ऐसी अनुसूची में वर्णित अलग-अलग प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे ।

47. दुरभिसंधि न होने का कथन अर्जी में किया जाना—इस अधिनियम के अधीन विवाह के विघटन या विवाह की अकृतता या न्यायिक पृथक्करण [5]*** की डिक्री के लिए [6]*** प्रत्येक अर्जी में यह कथन होगा कि अर्जीदार तथा विवाह के अन्य पक्षकार के बीच कोई दुरभिसंधि या मौनानुकूलता नहीं है ।

कथनों का सत्यापित किया जाना—इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अर्जी में अन्तर्विष्ट कथन अर्जीदार या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा वादपत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीति से सत्यापित किए जाएंगे तथा सुनवाई में उनका निर्देश साक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा ।

48. पागलों की ओर से वाद—जब पति या पत्नी पागल या जड़ है, तब इस अधिनियम के अधीन (दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए वाद से भिन्न) कोई भी वाद, पति या पत्नी की ओर से, उसकी अभिरक्षा के लिए हक रखने वाले सुपुर्ददार या अन्य व्यक्ति द्वारा लाया जा सकेगा ।

49. अवयस्कों द्वारा वाद—जब अर्जीदार अवयस्क है तब न्यायालय द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले अपने वाद-मित्र के माध्यम से वाद लाएगा या लाएगी;

तथा इस अधिनियम के अधीन किसी अवयस्क द्वारा प्रस्तुत कोई भी अर्जी तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक वाद-मित्र ने खर्चों के लिए जवाबदार होने का लिखित रूप में वचनबंध न कर लिया हो ।

ऐसा वचनबंध [7]*** न्यायालय में फाइल किया जाएगा और तब वाद-मित्र, वैसी ही रीति से और उसी सीमा तक दायी होगा मानो वह किसी सामान्य वाद में वादी हो ।

[1] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1870 के अधिनियम सं० 7 द्वारा "या न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के उलटने, या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या नुकसानी के लिए पांच रुपए का स्टाम्प लगेगा, और" शब्द निरसित किए गए ।
[6] 1870 के अधिनियम सं० 7 द्वारा "इस धारा में उल्लिखित पहले, दूसरे और तीसरे मामलों में", शब्द निरसित किए गए ।
[7] 1870 के अधिनियम सं० 7 द्वारा "पर आठ आने का स्टाम्प लगा होगा, और" शब्द निरसित किए गए ।

50. अर्जी की तामील—इस अधिनिमय के अधीन प्रत्येक अर्जी की तामील उससे प्रभावित होने वाले पक्षकार पर, या तो [1][भारत] के भीतर या बाहर, ऐसी रीति से की जाएगी, जैसी उच्च न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समय-समय पर निर्दिष्ट करे :

परन्तु न्यायालय ऐसी तामील से उस दशा में पूर्णत: अभिमुक्ति दे सकेगा जिसमें उसे ऐसा करना आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

51. साक्ष्य लेने का ढंग—न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों में साक्षियों की परीक्षा यदि उनको उपस्थित कराया जा सकता है तो मौखिक रूप से की जाएगी और कोई भी पक्षकार अपने को साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकेगा या कर सकेगी और किसी अन्य साक्षी की ही भांति उसकी परीक्षा की जाएगी और प्रतिपरीक्षा तथा पुन:परीक्षा की जा सकेगी :

परन्तु पक्षकार अपने-अपने मामले को पूर्णत: या भागत: शपथपत्र द्वारा सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, किन्तु इस प्रकार कि प्रत्येक ऐसे शपथपत्र में अभिसाक्षी की, विरोधी पक्षकार के आवेदन पर, या न्यायालय के निदेश द्वारा, विरोधी पक्षकार के द्वारा या उसकी ओर से, मौखिक रूप से प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी और ऐसी प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उस पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से, जिसके द्वारा ऐसा शपथपत्र फाइल किया गया था पूर्वोक्त रूप से उसकी मौखिक पुन:परीक्षा की जा सकेगी ।

52. क्रूरता या अभित्यजन के बारे में साक्ष्य देने की पति तथा पत्नी की सक्षमता—[2][पति या पत्नी द्वारा यह प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर कि उसका विवाह, यथास्थिति, उसके पति या उसकी पत्नी के जारकर्म, क्रूरता या अभित्यजन के दोषी होने के कारण विघटित किया जाए] पति या पत्नी, ऐसी क्रूरता या अभित्यजन का या उससे संबंधित साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे तथा विवश किए जा सकेंगे ।

53. बन्द कमरे में सुनवाई की शक्ति—यदि न्यायालय ठीक समझता है तो इस अधिनियम के अधीन सम्पूर्ण कार्यवाही या उसके किसी भाग की सुनवाई बंद कमरे में की जा सकेगी ।

54. स्थगन की शक्ति—न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अर्जी की सुनवाई का समय-समय पर स्थगन तथा उस पर अतिरिक्त साक्ष्य की अपेक्षा उस दशा में कर सकेगा, जब वह वैसा करना ठीक समझता है ।

55. आदेशों तथा डिक्रियों का प्रवर्तन तथा उनसे अपीलें—इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियों तथा आदेशों का प्रवर्तन उसी रीति से किया जाएगा और उनसे अपीलें उसी रीति से की जा सकेंगी जिस रीति से न्यायालय की अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्रियों का प्रवर्तन तथा आदेशों से अपीलें तत्समय प्रवृत्त विधियों, नियमों और आदेशों के अधीन किया जाता है या की जा सकती है :

[3]* * * * *

खर्चे के बारे में कोई अपील न होना—[4][परन्तु] केवल खर्चे के विषय पर कोई अपील नहीं होगी ।

56. उच्चतम न्यायालय को अपील—कोई भी व्यक्ति, अपील पर या अन्यथा इस अधिनियम के अधीन दी गई उच्च न्यायालय की (अपेक्षात्मक डिक्री से भिन्न) किसी डिक्री या आदेश से,

तथा उच्च न्यायालय के या किसी खण्ड न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा आरम्भिक अधिकारिता के प्रयोग में दी गई (अपेक्षात्मक डिक्री से भिन्न) किसी ऐसी डिक्री या आदेश से, जिसकी अपील उच्च न्यायालय को नहीं होती,

[5][उच्चतम न्यायालय] को अपील उस दशा में कर सकेगा जब उच्च न्यायालय यह घोषित करता है कि मामला [4][उच्चतम न्यायालय] में अपील किए जाने योग्य है ।

13—पुनर्विवाह

[6][**57. पक्षकारों को पुन:विवाह करने की स्वतंत्रता**—जहां विवाह के विघटन या अकृतता की डिक्री पारित कर दी गई है और या तो अपील करने का समय किसी न्यायालय को, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी है, अपील प्रस्तुत किए बिना समाप्त हो गया है या अपील प्रस्तुत की गई हो किंतु खारिज हो गई है और डिक्री या खारिजी अंतिम हो गई है वहां विवाह के प्रत्येक पक्षकार के लिए पुन:विवाह करना विधिपूर्ण होगा ।]

58. जारकर्म के कारण जिनका विवाह-विच्छेद हुआ हो ऐसे व्यक्तियों के विवाहों का अनुष्ठापन करने के लिए अंग्रेजी क्लर्जीमैन को विवश न किया जाना—इंग्लैंड [7]*** के [8]*** चर्च के होली आर्डर का कोई क्लर्जीमैन किसी ऐसे व्यक्ति के विवाह का

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत" के स्थान पर रखा गया था ।

[2] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 28 द्वारा (3-10-2001 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 29 द्वारा लोप किया गया ।

[4] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मेजेस्टी इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[7] 1873 के अधिनियम सं० 12 की धारा 1 और अनुसूची द्वारा "संयुक्त" शब्द निरसित ।

[8] 1873 के अधिनियम सं० 12 की धारा 1 और अनुसूची द्वारा "और आयरलैंड" शब्द निरसित किए गए ।

अनुष्ठापन करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ववर्ती विवाह पति या पत्नी के जारकर्म के कारण विघटित हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति के विवाह का अनुष्ठापन करने या अनुष्ठापन करने से इंकार करने के लिए किसी वाद, शास्ति या परिनिन्दा के दायित्वाधीन नहीं होगा ।

59. विवाह-संस्कार कराने के लिए इंकार करने वाले अंग्रेजी मिनिस्टर द्वारा अपने चर्च के उपयोग की अनुज्ञा दिया जाना—जब किसी चर्च या उस [1]*** चर्च के चैपल का कोई मिनिस्टर ऐसे किन्हीं व्यक्तियों के बीच ऐसी विवाह-संस्कार सेवा करने से इंकार करता है, जो ऐसे इंकार के अभाव में ऐसे चर्च या चैपल में, वैसी सेवा के हकदार होते, तब ऐसा मिनिस्टर उक्त चर्च के होली आर्डर में किसी ऐसे अन्य मिनिस्टर को, जो उस डायोसीज में जिसमें ऐसा चर्च या चैपल स्थित है, संस्कार कराने का हकदार है, ऐसे चर्च या चैपल में ऐसा विवाह-संस्कार कराने की अनुज्ञा देगा ।

14—प्रकीर्ण

60. पृथक्करण की डिक्री या संरक्षण-आदेश का उन व्यक्तियों के बारे में विधिमान्य होना जो उसके उलटे जाने के पूर्व पत्नी से संव्यवहार करें—इस अधिनियम के अधीन पत्नी द्वारा अभिप्राप्त प्रत्येक न्यायिक पृथक्करण की डिक्री या संपत्ति के संरक्षण-आदेश को पत्नी के साथ संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के संरक्षण के लिए, जहां तक आवश्यक हो, विधिमान्य समझा जाएगा जब तक कि उसे उलट नहीं दिया जाता या प्रभावोन्मुक्त नहीं कर दिया जाता ।

ऐसी डिक्री या आदेश के उलटे जाने, प्रभावोन्मुक्त किए जाने या परिवर्तित किए जाने का उन अधिकारों या उपचारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो किसी व्यक्ति को ऐसी डिक्री या आदेश की तथा उसके उलटे जाने, प्रभावोन्मुक्त किए जाने या परिवर्तित किए जाने की तारीखों के बीच पत्नी द्वारा की गई संविदाओं या कार्यों के संबंध में अन्यथा प्राप्त हों ।

डिक्री या संरक्षण-आदेश के उलटे जाने की सूचना के बिना पत्नी को संदाय करने वाले व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति—इस बात के होते हुए भी कि कोई डिक्री या आदेश जो, पत्नी ने अभिप्राप्त किया है बाद में उलट दिया गया है, प्रभावोन्मुक्त कर दिया गया है या परिवर्तित कर दिया गया है या पत्नी का पति से पृथक्करण समाप्त हो गया है या डिक्री या आदेश किए जाने के बाद से किसी समय जारी नहीं रहा है ऐसी डिक्री या आदेश के आधार पर पत्नी को कोई संदाय करने वाले या उसे कोई अन्तरण या कार्य करने की अनुज्ञा देने वाले व्यक्तियों का इस प्रकार संरक्षण या क्षतिपूर्ति की जाएगी मानो ऐसे संदाय, अन्तरण या अन्य कार्य करने के समय ऐसी डिक्री या आदेश विधिमान्य हो और बिना परिवर्तन अस्तित्वशील हो और पृथक्करण समाप्त न हुआ हो या पृथक्करण जारी रहा हो ।

जब तक कि उस संदाय, अन्तरण या अन्य कार्य के समय, ऐसे व्यक्तियों को डिक्री या आदेश के उलटे जाने, प्रभावोन्मुक्त किए जाने या परिवर्तित किए जाने की अथवा पृथक्करण के समाप्त या बन्द हो जाने की सूचना न हो ।

61. आपराधिक संसर्ग के लिए वाद का वर्जन—इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् धारा 2 तथा 10 के अधीन अर्जी प्रस्तुत करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति, अपनी पत्नी के साथ आपराधिक संसर्ग के लिए, वाद नहीं लाएगा ।

62. नियम बनाने की शक्ति—उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन ऐसे नियम बनाएगा, जैसे वह समय-समय पर समीचीन समझे तथा समय-समय पर उनमें परिवर्तन या परिवर्धन कर सकेगा :

परन्तु तब जब कि ऐसे नियम, परिवर्तन तथा परिवर्धन इस अधिनियम तथा [2][सिविल प्रक्रिया संहिता[3] 1908 (1908 का 5)] के उपबन्धों के सुसंगत हों ।

सभी ऐसे नियम, परिवर्तन तथा परिवर्धन राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

प्ररूपों की अनुसूची

सं० 1—जारकर्म के कारण सह-प्रत्यर्थी के विरुद्ध नुकसानी सहित विवाह के विघटन के लिए पति द्वारा अर्जी

(धाराएं 10 तथा 34 देखिए)

…………………………के (उच्च) न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति..............................(या,..................के न्यायाधीश)

तारीख.......................................(स्थान).......................................का **क ख** इस आवेदन द्वारा यह कथन करता है—

1. कि अर्जीदार का उन्नीस सौ....................................के…......................................के..........................दिन

[1] 1873 के अधिनियम सं० 12 की धारा 1 और अनुसूची द्वारा शब्द "संयुक्त" निरसित ।

[2] देखिए—अब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) ।

[3] 2001 के अधिनियम सं० 51 की धारा 31 द्वारा (3-10-2001 से) प्रतिस्थापित ।

ग ख के साथ जो उस समय अविवाहिता **ग घ** थी, ...में विधिसम्मत विवाह हुआ था । (क)

2. कि अर्जीदार अपने उक्त विवाह से.........................(स्थान)……….............. में............................(स्थान) …..में और..(स्थान)……….....................................में और अंतिम बार............................(स्थान) …………………..में..........................(स्थान)........................में अपनी उक्त पत्नी के साथ रहा और उसने उसके साथ सहवास किया और अर्जीदार और उसकी उक्त पत्नी के उनके उक्त विवाह से पांच बच्चे हुए, जिनमें से केवल दो पुत्र, जिनकी आयु क्रमश: 12, 14 वर्ष की है, जीवित हैं ।

3. कि उन्नीस सौ..............................के.........................के..................................दिन के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान **भ म** अर्जीदार के..................................(स्थान)............................के पूर्वोक्त मकान पर, कुछ अपवादों को छोड़कर, लगातार रह रहा था और उक्त अवधि के दौरान विभिन्न अवसरों पर, जिनकी तारीखें आपके अर्जीदार को ज्ञात नहीं हैं, उक्त **ग ख** ने अर्जीदार के उक्त मकान में उक्त **भ म** के साथ जारकर्म किया ।

4. कि हमारे उक्त विवाह का विघटन कराने के या किसी अन्य प्रयोजन के लिए मेरे तथा मेरी पत्नी के बीच किसी प्रकार की दुरभिसंधि या मौनानुकूलता नहीं है ।

अत: अर्जीदार प्रार्थना करता है कि यह (माननीय) न्यायालय उक्त विवाह के विघटन की डिक्री दे तथा उक्त भ म अर्जीदार की उक्त पत्नी के साथ जारकर्म करने के कारण नुकसानी के रूप में 5,000 रु० की राशि का संदाय करे । ऐसी नुकसानी का संदाय अर्जीदार को किया जाए या उसका संदाय या उपयोजन किसी अन्य रूप में इस प्रकार किया जाए जैसा यह (माननीय) न्यायालय उचित समझे ।

(हस्ताक्षरित) क ख (ख)

सत्यापन का प्ररूप

उपर्युक्त अर्जी का अर्जीदार, मैं, **क ख** घोषणा करता हूं कि उस अर्जी में जो कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है ।

सं० 2—सं० 1 के उत्तर में प्रत्यर्थी का कथन

....के न्यायालय, में, तारीख..................................अर्जीदार **क ख,** और

प्रत्यर्थी **ग ख** के बीच तथा सह-प्रत्यर्थी भ म ।

प्रत्यर्थी **ग ख**, अपने अटर्नी (या वकील) **घ ङ** की मार्फत **क ख** की अर्जी के उत्तर में यह कहती है कि वह इस बात से इन्कार करती है कि उसने विभिन्न या किन्हीं अवसरों पर **भ म** के साथ जारकर्म किया है जैसा कि उक्त अर्जी के तीसरे पैरा में अभिकथित है ।

अत: प्रत्यर्थी प्रार्थना करती है कि यह (माननीय) न्यायालय उक्त अर्जी को नामंजूर कर दे ।

(हस्ताक्षरित) ग ख

(क) यदि विवाह भारत के बाहर अनुष्ठापित किया गया था तो यह दिखाना होगा कि जारकर्म भारत में किया गया था ।

(ख) अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होने चाहिएं ।

सं० 3—सं० 1 के उत्तर में सह-प्रत्यर्थी का कथन

....के (उच्च) न्यायालय में तारीख ....अर्जीदार **क ख**, और

प्रत्यर्थी **ग ख** के बीच तथा सह-प्रत्यर्थी **भ म** ।

सह-प्रत्यर्थी **भ म** इस मामले में फाइल की गई अर्जी के उत्तर में कहता है कि वह इस बात से इन्कार करता है कि उसने उक्त **ग ख** के साथ जारकर्म किया है जैसा कि उक्त अर्जी में अभिकथित है ।

अत: उक्त **भ म** प्रार्थना करता है कि यह (माननीय) न्यायालय उक्त अर्जीदार की प्रार्थना को नामंजूर कर दे तथा उसे उक्त अर्जी के या उसके आनुषंगिक खर्च देने के लिए आदेश दे ।

(हस्ताक्षरित) भ म

सं० 4—विवाह की अकृतता की डिक्री के लिए अर्जी

(धारा 18 देखिए)

....के (उच्च) न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति ....(या, ...के न्यायाधीश)

तारीख ....

क ख, जिसे कि गलती से **क घ** कहा गया है इस अर्जी के द्वारा यह कथन करती है,—

1. कि 19....................................के............................के......................दिन अर्जीदार का जो तब अठारह वर्ष की अविवाहिता थी, **ग घ** के साथ जो उस समय लगभग तीस वर्ष का अविवाहित था, ...(भारत के किसी स्थान) में तथ्यत;, न कि विधि की दृष्टि में, विवाह हुआ था ।

2. कि अर्जीदार उक्त 19............................के...........................के................दिन से लेकर 19......................के ....मास तक विभिन्न स्थानों में ; और विशेषत: पूर्वोक्त ....में उक्त **ग घ** के साथ रही और उसमें उसके साथ सहवास किया ।

3. कि उक्त **ग घ** ने तथाकथित विवाह की कभी भी लैंगिक सम्भोग द्वारा संसिद्धि नहीं की ।

4. कि अर्जीदार के उक्त तथाकथित विवाह के अनुष्ठापन के समय उक्त **ग घ** अपनी नपुंसकता या इन्द्रिय-विकृति के कारण विवाह करने के लिए विधिक रूप से अक्षम था ।

5. कि इस वाद के विषय की बाबत उसके और उक्त **ग घ** के बीच कोई दुरभिसंधि या मौनानुकूलता नहीं है ।

अत: अर्जीदार प्रार्थना करती है कि यह (माननीय) न्यायालय यह घोषित कर दे कि उक्त विवाह अकृत तथा शून्य है ।

(हस्ताक्षरित) क ख

सत्यापन के लिए प्ररूप वैसा ही होगा जैसा अनुसूची के प्ररूप सं० 1 में है ।

———

सं० 5—पति के जारकर्म के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के लिए पत्नी द्वारा अर्जी

(धारा 12 देखिए)

...................................के (उच्च) न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति........................ (या के ....न्यायाधीश)

तारीख..**ग ख**, जो **क ख** की पत्नी है और ....(स्थान) ....की है, इस अर्जी द्वारा यह कथन करती है,—

1. कि 19 ....के..............................के........................दिन अर्जीदार का, जो तब **ग घ** थी **क ख** के साथ ....में..............................चर्च में विधिसम्मत विवाह हुआ था ।

2. कि अर्जीदार ने अपने उक्त विवाह के पश्चात्....................................(स्थान)............................में और ....(स्थान) ....में उक्त **क ख** के साथ सहवास किया और अर्जीदार और उसके उक्त पति के उक्त विवाह से हुए तीन बच्चे जीवित हैं, अर्थात् आदि आदि (क) ।

3. कि 19...................................के अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर के महीनों में या उसके आसपास विभिन्न अवसरों पर पूर्वोक्त..(स्थान) ....में उक्त **क ख** ने **ङ च** के साथ जारकर्म किया जो तब उक्त **क ख** और अर्जीदार की सेवा में उनके उक्त निवास-स्थान पूर्वोक्त...में रह रही थी ।

4. कि 19...के अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में विभिन्न अवसरों पर, पूर्वोक्त...में उक्त **क ख** ने **छ ज** के साथ जारकर्म किया जो तब उक्त **क ख** और अर्जीदार की सेवा में उनके उक्त निवास-स्थान पूर्वोक्त.......................................में रह रही थी ।

5. कि इस वाद के विषय की बाबत अर्जीदार और उक्त **क ख** के बीच कोई दुरभिसंधि या मौनानुकूलता नहीं है ।

अत: अर्जीदार प्रार्थना करती है कि यह (माननीय) न्यायालय अर्जीदार को, उसके उक्त पति के पूर्वोक्त जारकर्म के आधार पर, उससे न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दे ।

(हस्ताक्षरित) ग ख (ख)

सत्यापन के लिए प्ररूप वैसा ही होगा जैसा अनुसूची के प्ररूप सं० 1 में है।

सं० 6—सं० 5 के उत्तर में कथन

....के (उच्च) न्यायालय में

ख बनाम ख

तारीख.....................................

प्रत्यर्थी **क ख** अपने अटर्नी [या वकील] **म य** की मार्फत कहता है,—

1. कि वह इस बात से इन्कार करता है कि उसने **ङ च** के साथ जारकर्म किया जैसा कि अर्जी के तीसरे पैरा में अभिकथित है।

2. कि अर्जीदार ने **ङ च** के साथ उक्त जारकर्म को, यदि कोई था, माफ कर दिया है।

3. कि वह इस बात से इन्कार करता है कि उसने **छ ज** के साथ जारकर्म किया है जैसा कि अर्जी के चौथे पैरा में अभिकथित है।

4. कि अर्जीदार ने **छ ज** के साथ उक्त जारकर्म को, यदि कोई था, माफ कर दिया है।

अत: प्रत्यर्थी प्रार्थना करता है कि यह (माननीय) न्यायालय उक्त अर्जी में की गई प्रार्थना नामंजूर कर दे।

(हस्ताक्षारित) क ख

सं० 7—सं० 6 के उत्तर में कथन

..............................के (उच्च) न्यायालय में

ख बनाम ख

तारीख..

अर्जीदार **ग ख** अपनी अटर्नी [या वकील] के मार्फत कहती है,—

1. कि वह इस बात से इन्कार करती है कि उसने **ङ च** के साथ प्रत्यर्थी के उक्त जारकर्म को माफ कर दिया है जैसा कि उत्तर के कथन के दूसरे पैरा में अभिकथित है।

2. कि यदि उसने उक्त जारकर्म को माफ किया भी है तो भी वह **छ ज** के साथ प्रत्यर्थी के दोबारा जारकर्म से पुन:प्रवर्तित हो गया है जैसा कि अर्जी के चौथे पैरा में बताया गया है।

(हस्ताक्षारित) ग ख

(क) बच्चों की आयु लिखें।

(ख) अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होने चाहिएं।

सं० 8—क्रूरता के कारण न्यायिक पृथक्करण के लिए अर्जी

(धारा 22 देखिए)

....के (उच्च) न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति...(या के ....न्यायाधीश)

तारीख...

....की **क ख** (**ग ख** की पत्नी) इस अर्जी द्वारा यह कथन करती है,—

1. कि 19....................................के..................................के....................................दिन अर्जीदार का, जो उस समय अविवाहिता **क घ** थी..में **ग ख** के साथ विधिसम्मत विवाह हुआ था।

शिवेथ,

2. कि अर्जीदार ने अपने उक्त विवाह के समय से.....................................(स्थान)..................................में अपने उक्त पति के साथ निवास और सहवास 19..................................के..............................के...........................दिन तक

किया जब अर्जीदार अपने उक्त पति से पृथक् हो गई जैसा कि इसमें इसके पश्चात् अधिक विशिष्टतया वर्णित है और अर्जीदार और उसके उक्त पति को उनके उक्त विवाह से कोई सन्तान नहीं हुई ।

3. कि अर्जीदार के उक्त विवाह से और उसके थोड़े ही बाद से उक्त **ग ख** अर्जीदार के साथ अत्यंत कठोरता और क्रूरता का व्यवहार करने लगा ; वह बार-बार उसको अत्यंत अशिष्ट तथा अत्यंत अपमानजनक शब्दों में गाली देने लगा और अपने मुक्के से या बेंत से या किसी अन्य हथियार से उसको मारने लगा ।

4. कि 19..............................के......................मास की या उसके आस-पास की एक शाम को उक्त **ग ख** ने आम रास्ते पर और उस मकान के सामने जिसमें अर्जीदार और उक्त **ग ख** उस समय पूर्वोक्त...................................में रह रहे थे अर्जीदार को मारने की चेष्टा की और अर्जीदार के भाई **च घ** के हस्तक्षेप से ही उसको ऐसा करने से रोका जा सका ।

5. कि तत्पश्चात् उसी शाम को उक्त **ग ख** ने पूर्वोक्त...में अपने मकान में अर्जीदार के मुंह पर अपने मुक्के से जोर का घूंसा मारा ।

6. कि 19...के...मास में एक शुक्रवार की रात को उक्त **ग ख** ने..............................में बिना प्रकोपन के अर्जीदार पर चाकू फेंका, जिससे उसके दाएं हाथ पर गहरा घाव हो गया ।

7. कि अर्जीदार, अपने उक्त पति द्वारा उसके साथ लगातार अत्यंत क्रूर व्यवहार के कारण 19………………………… के…………………………के…………..………………..दिन शाम को सहायता प्राप्त करके अपने उक्त पति के मकान से निकल कर…........................में अपने पिता के मकान पर चली गई, कि उक्त 19…...............के…................के…...............दिन से और उसके बाद से अर्जीदार अपने उक्त पति से पृथक् तथा विलग होकर रह रही है और वह कभी न तो उसके मकान को वापस गई और न उसने उसके साथ सहवास ही किया ।

8. कि इस वाद के विषय की बाबत अर्जीदार और उसके उक्त पति के बीच कोई भी दुरभिसंधि या मौनानुकूलता नहीं है ।

अत: अर्जीदार प्रार्थना करती है कि यह (माननीय) न्यायालय अर्जीदार और उक्त **ग ख** के बीच न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दे, और यह भी आदेश दे, कि उक्त **ग ख** इस कार्यवाही के और इसके आनुषंगिक, खर्च दे ।

(हस्ताक्षारित) क ख

सत्यापन के लिए प्ररूप वैसा ही होगा जैसा अनुसूची के प्ररूप सं० 1 में है ।

सं० 9—सं० 8 के उत्तर में कथन

....के (उच्च) न्यायालय में

तारीख..

अर्जीदार **क ख** तथा प्रत्यर्थी **ग ख** के बीच ।

इस मामले में फाइल की गई अर्जी के उत्तर में प्रत्यर्थी **ग ख** अपने अटर्नी (या वकील) **ब च** की मार्फत यह कथन करता है कि वह इस बात से इन्कार करता है कि वह उक्त **क ख** के प्रति क्रूरता का दोषी है जैसा कि उक्त अर्जी में अभिकथित है ।

(हस्ताक्षारित) ग ख

सं० 10—पृथक्करण की डिक्री के उलट दिए जाने के लिए अर्जी

(धारा 26 देखिए)

....के (उच्च) न्यायालय में । माननीय न्यायमूर्ति.......................................(या ....के न्यायधीश) ।

तारीख..के **क ख** की अर्जी दर्शित करती है,—

1. कि अर्जीदार का 19..............................के.............................के..........................दिन.....................के साथ विधिसम्मत विवाह हुआ था ।

2. कि 19.................के......................के..................दिन इस (माननीय) न्यायालय ने...........................की अर्जी पर अर्जीदार पर प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित डिक्री सुनाई थी, अर्थात्—

[यहां डिक्री उपवर्णित करें]

3. कि ऐसी डिक्री अर्जीदार की अनुपस्थिति में प्राप्त की गई थी जो उस समय.......................................में निवास कर रहा था ।

(उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो यह दिखाते हों कि अर्जीदार को कार्यवाहियों के बारे में जानकारी नहीं थी ; और यदि उसे जानकारी होती तो वह पर्याप्त प्रतिवाद प्रस्तुत करता ।)

या

कि अर्जीदार के पास अपनी उक्त पत्नी को छोड़ने का उचित कारण था क्योंकि उसकी उक्त पत्नी.................................

[यहां उन विधिक कारणों का उल्लेख कीजिए जो अर्जीदार के अपनी पत्नी से पृथक्करण को न्यायोचित ठहराते हों]

अत: अर्जीदार प्रार्थना करता है कि यह (माननीय) न्यायालय उक्त डिक्री को उलट दे ।

(हस्ताक्षरित) क ख

सत्यापन के लिए प्ररूप वैसा ही होगा जैसा अनुसूची के प्ररूप सं० 1 में है ।

सं० 11—संरक्षण-आदेश के लिए अर्जी

(धारा 27 देखिए)

................................के (उच्च) न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति...(या..................के न्यायाधीश)

तारीख...के **क ख** की पत्नी **ग ख** की अर्जी दर्शित करती है,—

कि उसका 19....................................के............................के..........................दिन **क ख** के साथ..................में विधिसम्मत विवाह हुआ था ।

कि वह...वर्ष तक..............................(स्थान)..........................में तथा................में उक्त **क ख** के साथ रही और उसने उसके साथ सहवास किया और उसके उक्त विवाह से...बच्चे हुए जिनमें से....................................अब आवेदक के साथ रह रहे हैं और पूर्णत: उसके उपार्जनों पर निर्भर हैं ।

कि..को या उसके आस-पास उक्त **क ख** ने किसी भी उचित कारण के बिना आवेदक का अभित्यजन कर दिया और तब से वह उससे पृथक् और विलग होकर रह रहा है ।

कि उसके उक्त पति द्वारा अभित्यजन से, आवेदक अपना भरणपोषण स्वयं अपने उद्यम (या यथास्थिति अपनी निजी संपत्ति) से कर रही है और उसने उससे या अन्यथा कुछ सम्पत्ति (यहां सम्पत्ति का साधारण वर्णन कीजिए) अर्जित की है ।

अत: वह उक्त 19..............................के...........................के..........................दिन से अर्जित अपने उपार्जनों और संपत्ति के, उक्त, **क ख** और सब लेनदारों और उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों से, संरक्षण के लिए आदेश की प्रार्थना करती है ।

(हस्ताक्षरित) ग ख

सं० 12—वाद के लंबित रहने तक निर्वाह-व्यय के लिए अर्जी

(धारा 36 देखिए)

....के (उच्च) न्यायालय में

ख बनाम ख

माननीय न्यायमूर्ति..(या............................के न्यायाधीश) तारीख..

क ख की वैध पत्नी **ग ख** इस अर्जी द्वारा यह कथन करती है,—

1. कि उक्त **क ख** ने..में कुछ वर्ष..................................का कारबार चलाया है और उस कारबार से वह 4,000 से 5,000 रु० तक की शुद्ध वार्षिक आय प्राप्त करता है ।

2. कि उक्त **क ख** के पास उसके उक्त घर...............................में प्लेट, फर्नीचर, कपड़ा और अन्य चीज-बस्त हैं ये सब चीजें उसने उसकी पत्नी के रूप में आपकी अर्जीदार के अधिकार से अर्जित की हैं या उसके माध्यम से अर्जित धन से खरीदी हैं, और इनका मूल्य 10,000 रु० है ।

3. कि उक्त **क ख** अपने पिता की विल के अनुसार 5,000 रु० के मूल्य की संपत्ति या कुछ अन्य पर्याप्त रकम का उस पर अपनी माता के आजीवन हित के अधीन रहते हुए हकदार है । (क)

अत: अर्जीदार प्रार्थना करती है कि यह (माननीय) न्यायालय वाद के लंबित रहने तक, निर्वाह-व्यय के तौर पर इतनी धनराशि या राशियों की डिक्री दे जितनी यह (माननीय) न्यायालय उचित समझे ।

(हस्ताक्षरित) ग ख

सत्यापन के लिए प्ररूप वैसा ही होगा जैसा अनुसूची के प्ररूप सं० 1 में हैं ।

सं० 13—सं० 12 के उत्तर में कथन

....के (उच्च) न्यायालय में

ख बनाम ख

ऊपर नामित प्रत्यर्थी **क ख**, जो ....(स्थान)...का है वाद के लंबित रहने तक निर्वाह-व्यय के लिए **ग ख** की अर्जी के उत्तर में, कहता है—

1. कि उक्त अर्जी के प्रथम पैरा के उत्तर में, मेरा कहना है कि मैंने पिछले तीन वर्ष से…………………….............(स्थान)................................में ....का कारबार चलाया है और ऐसे कारबार से मैंने नौ सौ रुपए किन्तु एक हजार रुपए से कम शुद्ध वार्षिक आय प्राप्त की है ।

2. कि उक्त अर्जी के दूसरे पैरा के उत्तर में, मेरा कहना है कि उपरोक्त..में मेरे उक्त मकान में मेरे पास प्लेट, फर्नीचर, कपड़ा और अन्य जंगम वस्तुएं तथा चीज-बस्त हैं, जो सात हजार रुपए के मूल्य की हैं किन्तु मुझे पक्का विश्वास है कि वे अब उससे अधिक मूल्य की नहीं हैं । मेरा यह कहना है कि उक्त प्लेट, फर्नीचर, और अन्य जंगम वस्तुओं तथा चीज-बस्त का एक हजार पांच सौ रुपए मूल्य का भाग हमारे विवाह के पूर्व मेरी उक्त पत्नी का था, किन्तु उसका शेष भाग तब से मैंने स्वयं अपने धन से खरीदा है । और मेरा यह कहना है कि इसमें इसके पूर्व उल्लिखित के सिवाय मेरे पास उक्त अर्जी के उक्त पैरा में अभिकथित प्लेट तथा अन्य चीज-बस्त नहीं है और मैंने उक्त अर्जी में वर्णित प्रकार से उसे अर्जित भी नहीं किया है ।

3. कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपने पिता की विल के अनुसार पांच हजार रुपए की सम्पत्ति का, उस पर अपनी माता के आजीवन हित के अधीन रहते हुए, हकदार हूं, अर्थात् मैं अपनी माता का मृत्यु पर अपने पिता की विल के अधीन सात हजार रुपए की वसीयत-संपदा का हकदार हो जाउंगा, जिसमें से मुझे अपने पिता के निष्पादकों को, दो हजार रुपए की राशि का संदाय करना होगा जो उसकी संपदा पर मेरे द्वारा देय ऋण की रकम है, और उस ऋण पर मैं अब प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की दर से ब्याज दे रहा हूं ।

क. अर्जीदार को अपने पति की यथासम्भव सही आय लिखनी चाहिए ।

4. कि उक्त अर्जी के उत्तर में, मुझे यह भी कहना है कि मेरे उपरोक्त कारबार से प्राप्त आय से भिन्न मेरी कोई भी अन्य आय नहीं है, और ऐसी आय, 19……………………………के...........................के.................................दिन से जब से कि मेरी उक्त पत्नी ने मुझे छोड़ा है काफी कम हो गई है और यह संभावना है कि यह कमी बनी रहेगी । मेरा यह भी कहना है कि मुझे अपनी उक्त आय से अपने दिवंगत पिता के निष्पादकों की पूर्वोक्त ब्याज के रूप में सौ रुपए की वार्षिक राशि देनी होती है और अपना तथा अपने दो ज्येष्ठ बच्चों का भरण-पोषण भी करना होता है ।

5. कि उक्त अर्जी के उत्तर में मुझे यह भी कहना है कि जब मेरी पत्नी ने 19............................के............................के ....दिन मेरा निवास गृह छोड़ा तब वह उन प्लेटों, घड़ियों तथा अन्य चीज-बस्त को जो मेरे उत्तर के दूसरे पैरा में वर्णित हैं, अपने साथ ले गई और तब से उसने वे चीजें मुझसे विधारित रखीं और अब भी विधारित रख रही है । मेरा पक्का विश्वास है कि उनका मूल्य कम से कम आठ सौ रुपए है और मुझे यह भी कहना है कि यथापूर्वोक्त मेरे मकान से चले जाने के पांच दिन के भीतर मेरी उक्त पत्नी ने मेरे कुछ किराएदारों द्वारा मुझे देय बिलों मद्धे संदाय प्राप्त किया है जिसकी कुल रकम..रुपए है और उसने वह राशि तब से मुझसे विधारित रखी है और अब भी विधारित रख रही है ।

(हस्ताक्षारित) क ख

सं० 14—अवयस्क के वाद-मित्र द्वारा प्रत्यर्थी के खर्चों के लिए जवाबदार होने का वचनबन्ध

(धारा 49 देखिए)

....के (उच्च) न्यायालय में ।

मैं................................(स्थान).......................का **क, ख, ग, घ** का, जो कि अवयस्क हैं और.........................(स्थान) ....के **घ घ** के विरुद्ध इस न्यायालय में भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम के अधीन अर्जी फाइल करने का इच्छुक है या की इच्छुक है । वाद-मित्र होने के नाते ऐसे वाद में, उक्त **घ घ** के खर्चों के लिए जवाबदार होने का वचनबंध करता हूं, और यदि उक्त **ग घ** उक्त **घ घ** को उस समय और उस रीति में जिसका आदेश न्यायालय दे ऐसे वाद के सभी ऐसे खर्चों का जिनका संदाय उक्त **घ घ** को करने का निदेश न्यायालय उसे दे, संदाय करने में असफल रहेगा तो मैं उसका संदाय उसे उस न्यायालय के उचित अधिकारी को तुरन्त करूंगा ।

तारीख............................

(हस्ताक्षरित) क ख